



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 346 राँची, गुरुवार

31 वैशाख, 1937 (श०)

21 मई, 2015 (ई०)

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 मई, 2015

एस.ओ.-48 दिनांक 21 मई, 2015— झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल रामकृष्ण मिशन आश्रम, दिव्यायन कृषि विज्ञान केन्द्र, मोराबादी, राँची को निम्नलिखित वस्तुओं की खरीद पर देय मूल्यवर्द्धित कर से विमुक्ति प्रदान करते हैं बशर्ते रामकृष्ण मिशन आश्रम, दिव्यायन कृषि विज्ञान केन्द्र, मोराबादी, राँची के स्वामी, यह प्रमाणित करें कि उक्त वस्तुएं रामकृष्ण मिशन आश्रम, दिव्यायन कृषि विज्ञान केन्द्र, मोराबादी, राँची के उपयोग के लिए ही हैं:-

1. खाद्य वस्तुएँ
2. वाहन ट्रैक्टर एवं स्पेयर पार्ट्स (टायर सहित)
3. मोटर पम्प एवं स्पेयर्स
4. एम0 एस0 सेक्शन एवं राड
5. फिक्सचर एवं फर्नीचर वस्तुएं
6. इलेक्ट्रीकल गुड्स एवं बैट्री
7. प्रिंटिंग मटेरियल एवं स्टेशनरी
8. भेटेनरी दवाएं, फीड सप्लीमेंट
9. दवाएं
10. लकड़ी
11. इलेक्ट्रानिक्स आइटम्स
12. साइंस लेबोरेटरी के लिए इक्वूपमेंट एवं केमिकल्स
13. खेलकूद की वस्तुएँ
14. बर्तन
15. कम्प्यूटर (प्रिंटर एवं यू.पी.एस. सहित)
16. प्लास्टिक वस्तुएं
17. मोबिल, ग्रीस, कुलेन्ट, ईंजन आयल आदि।
18. कीटनाशक
19. पेंटिंग मटेरियल
20. प्लंबिंग मटेरियल
21. लाईट मटेरियल
22. बीज, खाद
23. गनी बैग
24. बेडिंग एवं क्लोथिंग तथा
25. हार्डवेयर मटेरियल
26. बिल्डिंग मटेरियल्स

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी एवं दिनांक 31 मार्च, 2016 तक प्रवृत्त रहेगी ।

3. संस्था को निशुल्क कार्यों के लिए ही कर-विमुक्ति की सुविधा प्राप्त होगी ।

घोषणा पत्र

अधिसूचना सं० एस० ओ० दिनांक पुस्तिका सं० प्रपत्र सं०

सेवा में,

इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बिल /कैश मेमो संख्या दिनांकरु.....द्वारा खरीदा गया माल रामकृष्ण मिशन आश्रम, दिव्यायन कृषि विज्ञान केन्द्र, मोराबादी, राँची के उपयोग के लिए है तथा वे अधिसूचना संख्याएस० ओ० दिनांक.....द्वारा आच्छादित है।

स्थान

हस्ताक्षर

तिथि

पदनाम

(संचिका संख्या वैट /विमुक्ति /1 /2006/1755)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,

सचिव-सह-आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग,

झारखण्ड, राँची ।
